राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन

रजि. कार्यालयः गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
फोन नः 0141–2228060–61, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल : edf-rmsc-rj@nic.in
CIN: U24232RJ2011SGC035067 Website : www.rmsc.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक एफ. 3 ( )/आरएमएससी/वित्त/अन्तिम लेखे 2023–24/ दिनांक

"Urgent"
"Balance Sheet 2023-24"

प्रभारी अधिकारी
जिला/ मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृह,
राजस्थान (समस्त)।

विषयः–जिला/मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृह में दिनांक 31.03.2024 को उपलब्ध औषधियों/सर्जिकल्स/सूचर्स के अन्तिम स्टॉक के भौतिक सत्यापन एवं प्रमाणीकरण बाबत्।

निगम के वित्तीय वर्ष 2023–24 के वार्षिक लेखे तैयार करने हेतु जिला औषधि भण्डार गृह में दिनांक 31.03.2024 को उपलब्ध औषधियों/सर्जिकल्स/सूचर्स के अन्तिम स्टॉक के भौतिक सत्यापन एवं प्रमाणीकरण बाबत् निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं:–

1. भौतिक सत्यापन हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जाती हैः–
   (i) प्रभारी अधिकारी, जिला/मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृह
   (ii) फार्मासिस्ट प्रथम
   (iii) फार्मासिस्ट द्वितीय
   (iv) सम्बन्धित आन्तरिक अंकेक्षक का प्रतिनिधि
2. समिति द्वारा 31.03.2024 को उपलब्ध औषधियों का शतप्रतिशत भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
3. समिति द्वारा जिला/मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृह पर आरएमएससी द्वारा आपूर्ति की गई समस्त औषधियों/सर्जिकल्स/सूचर्स का बैचवाईज भौतिक सत्यापन किया जाएगा। भौतिक सत्यापन के दौरान सही Batch व Expiry का भी सत्यापन किया जाए ताकि इन त्रुटियो को दुरूस्त किया जा सके। भौतिक सत्यापन रिपोर्ट की एक प्रति जिला/मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृह (DDW/MCDW) पर रखी जाएगी एवं एक प्रति दिनांक 10.04.2024 तक E-mail से निगम मुख्यालय को अनिवार्य रूप से भिजवाई जाएगी।

Signature valid

RajKaj Ref
6129987

Digitally signed by Raj Sood
Designation : Executive Director Finance
Date: 2024.03.14 17:51:26 IST
Reason: Approved

4. भौतिक सत्यापन में ई–औषधि सॉफ्टवेयर में औषधियों का जो स्टॉक दर्शाया जा रहा है एवं जो वास्तविक रूप से औषधि का स्टॉक DDW/MCDW पर उपलब्ध है, में यदि कतिपय औषधियो के अन्तर के कारण एवं उसका समाधान प्रभारी जिला/मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृह द्वारा प्राथमिक रिकार्ड यथा लेखे, स्टॉक रजिस्टर इश्यू रजिस्टर, अन्तर जिला स्थानान्तरण (Inter District Transfer) रजिस्टर, क्यू.सी. रजिस्टर इत्यादि के आधार पर किया जाकर निगम मुख्यालय के IT Cell को समिति द्वारा हस्ताक्षरित कर ई–मेल द्वारा प्रेषित करें एवं प्रति निगम मुख्यालय के सप्लाई अनुभाग तथा वित्त अनुभाग को भी दी जाएँ।
5. एक जिले से दूसरे जिले में स्थान्तरित औषधियों की Online सूचना ई–औषधि सॉफ्टवेयर में उपलब्ध है। अतः भौतिक सत्यापन से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि अन्य DDWs/MCDWs से आपके DDW/MCDW को हस्तान्तरित औषधियों की प्रविष्टी Online S/w में कर दी गई है। किसी भी विसंगति अथवा प्रविष्टि में तकनीकी कठिनाई की दशा में संबंधित OICDDW/MCDW (जहाँ से हस्तान्तरित की गई है)/ IT Cell से वार्ता कर निराकरण करते हुए प्रविष्टी करना सुनिश्चित कराएँ।
6. यह कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है इसके आधार पर वित्तीय वर्ष 2023–24 के वार्षिक लेखे तैयार किए जाने है।
7. जो औषधियाँ आपूर्ति अवधि के दो गुणा अवधि के उपरान्त भौतिक रूप से प्राप्त की गई है, किन्तु निगम मुख्यालय द्वारा उनकी सप्लाई अवधि में अभिवृद्धि प्रदान नहीं की गई है, तथा ई–औषधि सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि नहीं है उनको भौतिक सत्यापन में सम्मलित नहीं किया जाना है, क्योंकि इन विलम्ब से प्राप्त औषधियों को संबंधित आपूर्तिकर्ता को लौटाई जानी है।

उक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाए।

(राजू सूद)
कार्यकारी निदेशक (वित्त)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है :–

1. विशेषाधिकारी (आपूर्ति)/कार्यकारी निदेशक (P/L/QC/EPM), आरएमएससी, जयपुर।
2. आन्तरिक अंकेक्षक समस्त को भेजकर लेख है कि उक्त भौतिक सत्यापन के समय प्रत्येक जिला/मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृह (DDW/MCDW) पर जिसका आन्तरिक अंकेक्षण आप द्वारा सम्पादित किया जा रहा है उस पर आप अथवा आपके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में भौतिक सत्यापन का कार्य कराएँ।
3. Additional Dir. (IT), आरएमएससी, जयपुर को निगम वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
4. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
6129987

Signature valid
Digitally signed by Raju Sood
Designation: Executive Director Finance
Date: 2024.03.14 17:51:26 IST
Reason: Approved